

क्रमांक: प.1(16)खान/मुप-1/2020

राजस्थान सरकार
खान (मुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक:

06 JUL 2021

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित खनि अभियंता को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से अधीक्षण खनि अभियंता के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री हरीश चन्द्र गोयल	अ.जा.	2020-21	01.10.2020	सेवा में आरम्भिक नियुक्ति की वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य के विरुद्ध चयन
2.	श्री सतीश चन्द्र आर्य	सामान्य	2020-21	01.10.2020	—

उक्त अधिकारियों के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। अतः पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरांत ही पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से

— 81 —
(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव